# THE DELHI APPROPRIATION (No. 1) BILL, 2016



(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on 28 March, 2016)

THE DELHI APPROPRIATION (No.1) BILL, 2016



### THE DELHI APPROPRIATION (No.1) BILL, 2016

#### A

#### BILL

to authorise payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2015-16.

Be it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty seventh Year of the Republic of India as follows:-

Short title.

1. This Act may be called the Delhi Appropriation (No.1) Act, 2016.

issue of Rs. ₹1420,44,59,000/- from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016. 2. From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule amounting in the aggregate to the sum of rupees One Thousand Four hundred Twenty crore Forty Four lakhs Fifty Nine thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2015-2016 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

Appropriation.

 The sums authorized to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.



### THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(Rupees In thousands)

### SUMS NOT EXCEEDING

7		Total	14178459	26000	14204459
11	Urban Development and Public Works	Revenue Capital	6100 7988500	0	6100 7988500
10	Development	Revenue Capital	1000 0	2100	1000 2100
9	Industries	Revenue	200	0	200
8	Social Welfare	Revenue Capital	1345300 1975737	0	1345300 1975737
. 7	Medical and Public Health	Revenue Capital	2600 200	0 0	2600 200
6	Education	Revenue	1800	0	1800
5	Home	Revenue	200	0	200
4	Finance	Revenue Capital	100 3000	0	100 3000
3	Administration of Justice	Revenue	2783875	2500	2786375
2	General Administration	Revenue	69847	21400	91247
1	2		3	4	5
No.		3 8	Legislative Assembly	Consolidated Fund	1
Demand	Services and Purposes		Voted by the	Charged on the	Total

This Bill has been passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 28 March, 2016.

DELHI Dated the 28 March, 2016



(Sh. Ram Niwas Goel)

Speaker,

Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi

### STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Delhi Appropriation (No 1) Bill,2016 is introduced in pursuance of sub-section (I) of section 29 of the Government of National Capital Territory of Delhi Act,1991 (1 of 1992) to provide for the appropriation out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, of the moneys required to meet the expenditure charged on the Consolidated Fund and the grants voted by the Legislative Assembly for the expenditure of Government of National Capital Territory of Delhi for the financial year 2015-2016.

(Manish Sisodia)

Dy. Chief Minister / Finance Minister

Delhi March,2016



### MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

The Delhi Appropriation (No.1) Bill, 2016 does not seek to confer any additional power of legislation on any subordinate functionaries.



# दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2016



(जैसाकि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा में दिनांक 28 मार्च, 2016 को स्थापित किया गया)

> एस- प्रस्ताना जेगार विका

दिल्ली विनियोग(संख्या 1)विधेयक, 2016



## दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2016

वर्ष 2016—2017 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के सड़सठवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

संक्षिप्त शीर्षक।

 इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 1) अधिनियम 2016 है।

₹1420,44,59,000 / — का 2. वर्ष 2015—2016 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त ।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए एक हजार चार सौ बीस करोड़ चवालीस लाख उनसठ हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यो के सम्बन्ध में वर्ष 2015-2016 की अवधि के दौरान भुगतान के रुप में प्रयुक्त होगी।

विनियोजन।

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।



# अनुसूची

## (धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजार)

### निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

and part of the	सोग			26000	14204459
11	शहरी विकास और लोक निर्माण	राजस्व पूंजी	6100 7988500	0	6100 7988500
10	विकास	. राजस्व पूंजी	1000 0	2100	1000 2100
9	उद्योग	राजस्व	200	0	200
8	समाज कल्याण	राजस्व पुंजी	13453 <b>0</b> 0 1975737	0   0	1345300 1975737
7	चिकित्सा एवं जन स्ववास्थ्य	राजस्व पूंजी	2600 200	0	2600 200
6	शिक्षा	राजस्व	1800	0	180
5	गृह	राजस्व	200	0	20
4	वित्त	राजस्व पूंजी	100 3000	0	10 300
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	2783875	2500	278637
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	69847	21400	9124
1	2		3	4	5
अनुदान संख्यांक	सेवाए और प्रयोजन		विधान सभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि पर भारित	योग



# विधायी शक्ति प्रदान करने संबंधी ज्ञापन

दिल्ली विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 2016 का उद्देश्य किसी अधीनस्थ अधिकारी को अतिरिक्त विधायी शक्ति प्रदान करना नहीं है।



# उद्देश्यों और कारणों का विवरण

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 29 की उपधारा (1) में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधान सभा द्वारा पारित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि पर भारित व स्वीकृत व्यय को वहन करने के लिए आवश्यक धन राशि के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से विनियोजन की व्यवस्था के लिए दिल्ली विनियोग अधिनियम 2016, विधेयक प्रस्तुत किया जाता है।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहता है।

हिंदि वि.स

(मनीष सिसोदिया) उप-मुख्य मत्री / वित्तमत्री

दिल्ली मार्च, 2016